कार्यकारी सार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में

अग्रिम प्राधिकार योजना (एएएस) का उद्देश्य मूल्य वर्धन की निर्दिष्ट प्रतिशतता के साथ विनिर्मित माल के निर्यात की शर्त के अधीन भारत में सीमा शुल्क के भुगतान के बिना अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर पंजीकृत निर्यातकों को उनकी मूल्य इनपुट/कच्ची सामग्री की आवश्यकता पूरी करना है। इस योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) और सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्राधिकार का जारी करना, उपयोग, मोचन और कार्यान्वयन एक फलोत्पादक और प्रभावी तरीके में किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में योजना के क्रियान्यवन में शामिल अन्तर-विभागीय समन्वयन की प्रभावकारिता तथा क्या राजस्व हानि, योजना के दुरूपयोग आदि को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण उपाय पर्याप्त हैं, की भी जांच की गयी । लेखापरीक्षा में डीजीएफटी, इसके क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए) एवं सम्बन्धित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से सम्बन्धित सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं को शामिल किया गया।

पूरे भारत में कुल 38 आरए हैं जिनमें लागत, बीमा और भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य को शामिल करते हुए ₹7,58,141 करोड़ के आयातों के लिए 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान कुल 88,157 अग्रिम प्राधिकार (एए) जारी किए गए जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल किया गया। यह लेखापरीक्षा दिसम्बर 2019 और मार्च 2020 के बीच की गयी। कुल 38 आरए में से 23 प्रमुख आरए (60.52 प्रतिशत) में 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए ₹2,08,126 करोड़ (29.56 प्रतिशत) के सीआईए मूल्य वाले 4,048 एए फाईलों (4.96 प्रतिशत) के नमूने का लेखापरीक्षा में चयन किया गया। लेखापरीक्षा में क्षेत्राधिकारिक सीमा शुल्क के उन क्षेत्रीय कार्यालयों का भी चयन किया गया जहां शुल्क मुक्त आयातों और निर्यातों को प्रभावित करने के लिए चयनित नमूने मामले पंजीकृत थे।

4,048 चयनित मामलों में से, सात आरए (मुख्यतः मुम्बई, अहमदाबाद और दिल्ली) ₹9,906.73 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 405 एए फाईल आरए को बारंबार अनुरोध करने/अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवदेन में 66 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 17 सिफारिशें शामिल की गयी हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹1,386.80 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है, जिसमें से ₹1,291.93 करोड़ की राशि वाले 44 अभ्युक्तियां डीजीएफटी/राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा स्वीकार किए गए, ₹0.24 करोड़ की राशि वाले पांच पैराओं में कार्रवाई/वसूली की अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था और ₹94.61 करोड़ की राशि वाले 17 अभ्युक्तियां डीजीएफटी/डीओआर द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। अब तक आठ पैराओं के सम्बन्ध में ₹0.70 करोड़ की वसूली की गयी थी। इसी प्रकार, 17 सिफारिशों में से 11 को डीजीएफटी/डीओआर द्वारा स्वीकार किया गया है; पांच सिफारिशों (सिफारिश-1, 3, 6, 11 और 12) के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित था और एक सिफारिश (सिफारिश 7) को स्वीकार नहीं किया गया था।

अध्याय I : अग्रिम प्राधिकार योजना का विहंगावलोकन

योजना डीजीएफटी द्वारा क्रियान्यवित की जाती है जबकि आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से छूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन डीओआर द्वारा अनुमत की जाती है।

लाइसेंस के लिए आवेदन डीजीएफटी के अधीन क्षेत्राधिकारिक आरए को प्रस्तुत की जानी होती है, जैसा कि क्रियाविधि की पुस्तिका (एचबीपी) में निर्दिष्ट किया गया है। आरए आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन करता है और लाइसेंस जारी करता है, जिसे फिर लाइसेंस के अन्तर्गत माल के आयात और निर्यात को अनुमत करने के लिए निर्दिष्ट सीमा शुल्क पत्तन के साथ पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण सीमा शुल्क विभाग के पास बांड, और यदि आवश्यक हो तो बैंक गारंटी (बीजी) के कार्यान्वयन के अधीन होता है। निर्यात दायित्वों (ईओ) के निर्वहन पर, प्राधिकार धारक (एएच) आरए को मोचन का

एक आवेदन करता है, जो एएच को एक निर्यात दायित्व प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी करता है और यदि कोई बांड और बीजी हो, के मोचन के लिए सीमा शुल्क विभाग को उसकी एक प्रति भेजता है।

परिणामी उत्पाद के सम्बन्ध में इनपुट के लिए एए जारी किया जाता है जो कतिपय प्रतिमानों पर आधारित होता है जैसे मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) अथवा स्वत: घोषणा पर आधारित, स्वत: संपुष्टि योजना या आवेदक विशिष्ट पूर्व नियत किया गए मानदंड, जहां एसआईओएन अधिसूचित नहीं किया गया हो।

(पैरा 1.1, 1.2)

निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल की गयी अवधि के लिए एए योजना विश्लेषण से पता चला कि निर्यातों का पोतपर्यत नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य 2015-16 में 25 प्रतिशत तक बढ़कर ₹3,03,539 करोड़ से 2018-19 में ₹3,78,808 करोड़ हो गया।

सीआईएफ के तहत एए के खंडीय विश्लेषण में 2015-16 से 2018-19 तक रत्नों व आभूषणों और हथकरधा के सम्बन्ध में गिरती हुई प्रवृत्ति तथा इलेक्ट्रानिक्स, कपड़ा, रसायन, चमड़ा आदि में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शायी गयी। 2018-19 तक, रसायन, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक क्षेत्र, एए के कुल सीआईएफ मूल्य का तकरीबन 82 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान प्रभावी कुल प्रत्यक्ष निर्यातों की तुलना में एए में नियत किए गए एफओबी मूल्य के विश्लेषण से पता चला कि दो क्षेत्रों, रसायन और प्लास्टिक में एए के लिये एफओबी मूल्य 2018-19 तक कुल प्रत्यक्ष निर्यातों के 50 प्रतिशत से अधिक था जिसके बाद इंजीनियरिंग आता था। इन तीन क्षेत्रों में एए योजना कुल क्षेत्रीय निर्यातों का एक महत्वपूर्ण संचालक थी।

डीजीएफटी ने मई 2019 में एए जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग कार्यान्वित की और उसके बाद 1 दिसम्बर 2020 से प्रभावी एक नयी आईटी प्रणाली शुरू की, जिसमें सभी निर्धारित दस्तावेजों को (मोचन के लिए दस्तावेजों सहित) ऑनलाइन अपलोड़ करना, त्रुटियों और उनके उत्तरों का ऑनलाइन निपटान करना आवश्यक है तथा एए योजना को कागजरहित बनाने के लिए और

ईओडीसी को अंतिम रूप देने की बेहतर निगरानी के लिए सीमा शुल्क को डेटा का निरंतर हस्तान्तरण किया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गयी अवधि 2015-16 से 2018-19 थी; इसलिए मई 2019 और दिसम्बर 2020 से प्रभावी इन विशेषताओं के कार्यान्वयन की आगामी लेखापरीक्षाओं में समीक्षा की जाएगी।

(पैरा 1.4, 1.4.1 और 1.4.2)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

अध्याय II : अग्रिम प्राधिकार (एए) का जारी करना

2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के लिए स्वचालित प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की और डेटा के विश्लेषण द्वारा एए को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लागू किए गए सरलीकरण उपायों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में जांच की गयी। विश्लेषण में पता चला कि एए योजना स्वचालित होने के नाते आवेदन की प्राप्ति के साथ को आंशिक रूप से स्वचालित किया गया था जबकि एए जारी करने की प्रक्रिया काफी हद तक मैन्युअल रही। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान एए योजना के लिए विकसित स्वचालित प्रणाली में मैन्युअल हस्तक्षेप आवश्यक था जिसके कारण परिहार्य प्रत्यक्ष इंटरफेस तथा प्राधिकृत कर्मचारियों के पास विवेकाधिकार रहा जिसके परिणामस्वरूप एए जारी करने में काफी विलम्ब हुआ। किसी मानदंड के बिना आधारित एए जिनकों डीजीएफटी मुख्यालय में मानदंड समितियों (एनसी) द्वारा अंतिम रूप दिया गया, मैन्युअल रहे।

2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए 65 प्रतिशत एए एसआईओएन आधारित थे और शेष 35 प्रतिशत बिना मानदंड की श्रेणी से सम्बन्धित थे जिन्हें सम्बन्धित एनसी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है; समीक्षा के लिए चयनित नमूने को उसी अनुपात में तदनुसार आहरित किया गया। तथापि इस अध्याय में टिप्पणी किए गए कुल 1,422 एए में से, 621 एए एसआईओएन आधारित थे (44 प्रतिशत) और शेष 801 एए बिना मानदंड की श्रेणी (56 प्रतिशत) से सम्बन्धित थे। इस प्रकार

अधिकांश लेखापरीक्षा मुद्दे बिना मानदंड की श्रेणी के अन्तर्गत जारी किए गए एए मुद्दों से सम्बन्धित थे, यद्धपि यह कुल एए का केवल एक तिहाई था।

पर्याप्त संचित रिक्तियों के साथ डीजीएफटी मुख्यालय और आरए दोनों में स्टाफ की भारी कमी थी, जिसका न केवल अग्रिम प्राधिकार योजना बल्कि एफटीपी के अन्तर्गत अन्य योजनाओं पर भी प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

(पैरा 2.1)

एए जारी करने में पर्याप्त विलम्ब से 2015-16 से 2018-19 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कारोबार सहजता में और क्रियाविधि के सरलीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता दर्शायी गयी। स्वाचालन से एए जारी करने की प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक था क्योंकि आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग केवल मई 2019 में कार्यान्वित की जा सकी जिसके कार्यान्वयन की आगामी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी। तब तक, सभी निर्धारित दस्तावेज प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किए जा रहे थे जिससे एक ऑनलाइन सिस्टम को सहज बनाने का प्रयोजन विफल हो गया, परिणामस्वरूप निर्धारित समयावधि होने के बावजूद एए जारी करने में अत्यधित विलम्ब हुआ था।

(पैरा 2.2)

लेखापरीक्षा द्वारा मानदंड समितियों के पास लंबित अग्रिम प्राधिकार आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गयी। 31 मार्च 2019 को लम्बन 5606 था जिसमें 31 मार्च 2020 तक 6044 (7.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चार महीने की निर्धारित अवधि के बाद प्रतिमानों के नियतन में 4 महीने से 16 वर्ष तक अत्यधिक विलम्ब हुआ, जो आयातों के लिए और निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए तय समय-सीमा क्रमश: 12 महीने और 18 महीने, के प्रतिकूल था। समय पर प्रतिमानों को अंतिम रूप न देने से, निर्धारित अवधि के अन्दर निर्यातकों को ईओडीसी जारी नहीं किए जा सके, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बांडों और बीजी का अवरोधन हुआ, बल्कि ईओ पूरा न करने के मामलों में भी वृद्धि हुई। आगे, चूक के मामलों के लिए सीमा शुल्क और उस पर

ब्याज की वसूली करने के लिए आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने में भी विलम्ब होता है जो उस सही एएच पर शास्ति लगाने के अलावा है जिसे सभी अनुबद्ध शर्तों का पालन करने के बाद भी ईओसीडी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

(पैरा 2.4.1 और 2.4.2)

लेखापरीक्षा में डीईएल तंत्र का कार्यान्वयन पाया गया, जो निर्यातकों को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए माना जाता है, डीईएल के तहत ईकाईयों को रखने में 8 से 13 वर्ष की अत्यधिक देरी हो रही थी और कई स्थगन आदेश जारी किए जा रहे थे, जो इसकी अप्रभाविता को दर्शाता है। उन स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा तय नहीं है जो विद्धमान नियमों/क्रियाविधियों के अन्तर्गत एक निर्यातक को जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा, यह जानने के लिए आरए के लिए ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि क्या आवेदक सीमा शुल्क अधिनियम और उसके नियमों के अन्तर्गत दंडित किया गया है, क्योंकि सीमा शुल्क और डीजीएफटी कार्यालयों के बीच ऐसे दंडित ईकाईयों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान नहीं होता। प्राधिकार का जारी करना पूर्णरूप से आवेदक की स्व-घोषणा पर होता है।

(पैरा 2.5)

विभिन्न एए जारी करने से पहले आरए द्वारा अभिलेखों का कोई सत्यापन नहीं होता, विशेषकर उन लघु उद्योग (एसएसआई) ईकाईयों का, जिनका पिछला कोई निर्यात प्रदर्शन नहीं है और वे अपनी क्षमता से अधिक आयात करने की उनकी मांग करते है। इसके अतिरिक्त, एक समयबद्ध तरीके से पिछले एए के निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के अभाव में, फर्म को नए लाइसेंस जारी करने से योजना का असली उद्देश्य विफल होता है।

(पैरा 2.6.1 और 2.6.2)

अध्याय III : योजना का कार्यान्वयन

सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी दोनों के द्वारा योजना के कार्यान्वयन की जांच लेखापरीक्षा में की गयी। लेखापरीक्षा में यह भी सत्यापित किया गया कि क्या डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग के बीच समन्वय के लिए कोई

सांस्थानिक तंत्र मौजूदा है और क्या दोनों विभागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके में किया जा रहा है।

लाइसेंसों के प्रति प्राधिकारों की वैधता अवधि के बाद शुल्क मुक्त आयातों या अधिक आयातों का अनुमत करना सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग माड्यूल में निगरानी तंत्र की कमज़ोरी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बांड के कार्यान्यवन का प्रारंभकि प्रयोजन एए योजना में यथानिर्धारित नियमों और क्रियाविधियों के उचित अनुपालन को सुरक्षित करना है; यह गैर-अनुपालन के मामलों में उपयुक्त शुल्क और ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए समर्थक प्रतिभूति के रूप में भी कार्य करता है। एक समयबद्ध तरीके में बांडों के रद्द न करने, जैसाकि सीबीआईसी के अनुदेशों में निर्धारित है, से न केवल सही एएच की निधियों का अवरोधन हुआ है बल्कि यह बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए एक गलत संकेत भी देता है।

(पैरा 3.1.1 से 3.1.3)

मोचन हेतु दावा करने के लिए आरए एएच पर निर्भर करता है क्योंकि जहां ईओ की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए तत्कालिन प्रणाली में आरए के पास कोई तंत्र नहीं है। अधिक आयातों की निगरानी न करने, पूर्व-आयात शर्तों के अननुपालन और निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) में अनुचित वृद्धि के दृष्टांत पाए गए।

(पैरा 3.2.1.1 से 3.2.1.3)

लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण की मांग करने के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है और लाइसेंस की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद भी ऐसे अनुरोध किए जाते हैं। चूंकि लाइसेंस की वैधता एचबीपी के पैरा 2.16 में निर्दिष्ट की गयी है (जारी करने की तारीख से 12 महीने) और आयातों/निर्यातों (एचबीपी का पैरा 2.18) की तारीख को भी प्राधिकार वैध होना चाहिए, इसलिए लेखापरीक्षा की राय में, पुनर्वैधीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर केवल लाइसेंस की वैधता के अन्दर ही विचार किया जाना चाहिए।

(पैरा 3.2.1.4)

परिशिष्ट 4-एच/ 4-ई के तहत यथापेक्षित निर्यायित मदों के विनिर्माण में वास्तव में प्रयुक्त सभी इनपुट की घोषणा के लिए आरए में ज़ोर नहीं दिया

जाता। लेखापरीक्षा का मत है कि केवल आयातित इनपुट के सीआईएफ मूल्य को मानने की प्रथा, मूल्यवर्धन की पूरी स्थिति को नहीं दर्शाती। देशी आपूर्तियों के मूल्य को शामिल न करना, जीएसटी/कमीशन/आईजीएसटी राशि का गलत मानना और एएच द्वारा वास्तविक आयातों की घोषणा न करना का लेखापरीक्षा में पता चला था, जो शुल्क मुक्त आयातों के विचलन और योजना के दुरूपयोग के जोखिम से भरा हुआ है। आरए अघोषित माल के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित कर सकते है और गलत ढंग से ली गयी छूट को अननुमत करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।

(पैरा 3.2.3.1 से 3.2.3.3)

मोचन/ईओडीसी आवेदन के लिए आनलाईन सुविधा के सक्रिय न होने के परिणामस्वरूप ईओडीसी के जारी करने में विलम्ब हुआ और संव्यवहार लागत और समय में वृद्धि हुई। भले की मोचन के लिए आवेदन आनलाईन फाईल किए गए थे तथापि सभी दस्तावेज जैसे बीई, एसबी, ई-बीआरसी, इनपुट और निर्यात खपत तथा प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा की अवधि 2015-16 से 2018-19 के दौरान मैनुअल रूप से फाईल किए जाने अपेक्षित थे। मोचन प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटिकरण और लाइसेंस डेटा के साथ इसके एकीकरण से विलम्ब में कमी करने और मोचन आवेदनों के निपटान के लिए नियत किए गए 15 दिन के बैंचमार्क को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(पैरा 3.2.6)

एक प्रभावी आनलाईन मैसेज एक्सचेंज माडयूल (एमईएम) के अभाव में, सीबीआईसी को अक्सर डीजीएफटी द्वारा दी गयी ईओडीसी की प्रास्थिति अभिनिश्चित करने के लिए एएच पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी प्रकार, डीजीएफटी को उन मामलों के लिए शुल्क भुगतान प्रास्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी जहां ईओ की अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी डेटा की सूचना न देने/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ईओडीसी डेटा का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप बांडों के निपटान में विलम्ब होता है और लंबित मामलों में वृद्धि होती है।

(पैरा 3.3.1)

चूककर्ताओं के विरूद्ध सीमा शुल्क विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का जारी न करना और अधिनिर्णयन प्रक्रिया में विलम्ब उन कमियों को दर्शाता है जो दो विभागों के बीच समन्वय और ईडीआई सिस्टम के अप्रभावी उपयोग अथवा डीजीएफटी के 'eodc.online' में थीं, ताकि निर्यात प्रदर्शन को अभिनिश्चित किया जा सके और ठोस कार्रवाई की जा सके। डीजीएफटी द्वारा एए को प्रदान किए गए विस्तारों, जारी किए गए एससीएन/मांग नोटिसों के बारे में डीओआर को अधिसुचित किया जाना चाहिए और साथ ही अपने पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि एक समयबद्ध तरीके में सीमा शुल्क द्वारा कार्रवाई को आसान बनाया जा सके।

(पैरा 3.3.3)

अध्याय IV : आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन

आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा पर एक प्रभावी नीति के अभाव ने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी न करने में योगदान दिया जिसमें अन्य कार्यों के साथ इनपुट के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करके विभिन्न माल के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई आरए किसी ऐसे तंत्र से अनभिज्ञ थे।

(पैरा 4.1)

एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी करने के लिए एफटीडीआर एक्ट में विशेष समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कार्रवाई किए जाने वाले सभी मामलों में किसी पूर्वधारणा के बिना उसी तरीके में कार्यवाई की जाए। इससे सरकारी राजस्व के अवरोधन को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

(पैरा 4.2)

आरए द्वारा प्रस्तुत की गयी एमआईएस रिपोर्टों की डीजीएफटी द्वारा पर्याप्त रूप से निगरानी/मिलान नहीं किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सूचना की रिपोर्टिंग न करने को आरए के साथ नहीं उठाया जा रहा है। कार्यवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब और मांग नोटिस/ एससीएन के निपटान में विलम्ब के परिणामस्वरूप भारी संचित मामले लंबित हुए। एफटीपी में न तो कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं थी और न ही कोई प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे

जिनमें चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाही तेज़ करने में लिए अनुदेश दिए गए हों।

(पैरा 4.3)

सिफारिशें

1. डीजीएफटी/वाणिज्य विभाग को योग्य संसाधनों के साथ संचित रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, ताकि यह अग्रिम प्राधिकार और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो, यदि डीजीएफटी इन योजनाएं को जारी रखने का इरादा रखता है, तो।

2. डीजीएफटी यह सुनिश्चित करके एए को समय पर जारी करने के लिए मैनुअल और स्वचालित प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकता है कि ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूरा और पूर्ण आवेदन स्वीकार करने के लिए पुन: व्यवस्थित किया गया है। ऐसे निर्गमन की समयसीमा (या अन्यथा) की पर्याप्तता की समीक्षा भी की जा सकती है। तीन दिनों की निर्धारित समय-सीमा की तुलना में डीजीएफटी द्वारा एए जारी करने में महत्वपूर्ण विलम्ब (तीन महीने से दो वर्ष से अधिक) प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आयातित वस्तुओं को प्राप्त करने की योजना के मूल उद्देश्य को विफल करता है। ऐसी विस्तारित अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3. समय के साथ सभी क्षेत्रों में विनिर्माण प्रक्रियाओं और सुविधाओं के साथ-साथ तकनीकी उन्नयन में प्रगति की, डीजीएफटी को 2009 में एचबीपी वॉल्यूम- II के माध्यम से अधिसूचित एसआईओएन की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।

4. चार महीने से 16 वर्षों तक प्रतिमानों के नियतन करने में विलम्ब के साथ (जबकि एए योजना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयातों और निर्यातों के लिए निर्धारित समयसीमा क्रमश: 12 महीने और 18 महीने है), बिना-मानदंड की श्रेणी के लिए मानदंड समिति (एनसी) की प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं

कर रही है और डीजीएफटी को प्रणाली की व्यापक रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि दुरूपयोग की गुंजाइश को कम करते हुए इसकी उपयोगिता और व्यवहार्यता का निर्धारण किया जा सके।

5. डीजीएफटी समयसीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है जिसके अन्दर एनसी के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अपील की जा सकती है।

6. डीजीएफटी समय पर सुचारू रूप से डीईएल को अद्यतन करना सुनिश्चित कर सकता है और आस्थगन आदेश जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, डीईएल में पूर्व अवधि के लिए लगाए गए दंड का विवरण, और की गई कार्रवाई के परिणाम, की गई वसूली, निर्णय आदि को शामिल करना चाहिए। आस्थगन आदेश प्रदान करने से पहले लंबित निर्यात में शामिल शुल्क के लिए या आस्थगन आदेशों के विरुद्ध जारी किए गए नए लाइसेंसों के संबंध में शामिल शुल्क के लिए पूर्ण बीजी के रूप में, राजस्व हित को बीजी के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।

7. डीजीएफटी को पहली बार माल के आयात/निर्यात के लिए मांग करने वाली फर्मों (विशेषकर एसएसआई यूनिटें जिनका पिछला कोई निर्यात प्रदर्शन न हो) को विभिन्न एए जारी करने से पहले निर्यातकों के अभिलेखों का सत्यापन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, डीजीएफटी को नए एए जारी करने से पहले पूर्व एए, यदि कोई हो, के संबंध में ईओडीसी के पूरा होने का सत्यापन करना चाहिए यह सीआईए का सीमांकन और राजस्व के हित की रक्षा के लिए वर्धित बांड और बैंक गारंटी तंत्र भी निर्धारित कर सकता है।

8. डीजीएफटी आरए को नए एए जारी करने से पहले एएच द्वारा लम्बित एए के मोचन दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने की निगरानी के लिए अपने अनुदेशों की पुनरावृत्ति करा सकता है।

9. सीबीआईसी ईओ अवधि की समाप्ति के लिए उपयुक्त बांड नवीनीकरण/रद्दीकरण को सुनिश्चित करने के लिए तथा ईओडीसी प्रास्थिति

को अभिनिश्चित करने के लिए एएच पर निर्भरता से बचने के लिए एक स्वचालित सतर्क प्रणाली पर विचार कर सकता है।

10. डीजीएफटी को ईओ के निरन्तर रूप् से और नियमित रूप से निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। अब तक, ऐसे मामलों पर नज़र रखने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जहां ईओपी समाप्त हो गयी थी और ईओडीसी प्रास्थिति को अभिनिश्चित करने के लिए आरए एएच पर ही निर्भर थे। एए के संभावित दुरूपयोग को कम करने के लिए, घरेलू इनपुट के प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातित इनपुट के संभावित विपथन को संबोधित करने के लिए डीजीएफटी के ईडीआई प्रणाली में वैधीकरण जांचों के होने की आवश्यकता है।

11. डीजीएफटी को पुनर्वैधीकरण प्रदान करने की क्रियाविधि की समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोधों को केवल प्राधिकार की वैध अवधि के अन्दर ही स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शुल्क मुक्त आयात या निर्यात के लिए निर्यात दायित्व की गणना प्राधिकार के चलन तक ही हो।

12. डीजीएफटी परिशिष्ट 4 एच में पूर्ण प्रकटन के लिए जोर दे सकता है जिसमें, एएच से "घरेलू रूप से अधिप्राप्त इनुपुट सहित निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयुक्त सभी इनपुट और ऐसी अधिप्राप्ति के स्रोत के विवरण" घोषित करने की अपेक्षा की गयी है, जो आरए द्वारा वास्तविक खपत की बेहतर निगरानी को सुकर बनाने के लिए है जिससे शुल्क मुक्त आयातों के विपथन और योजना के दुरूपयोग को रोका जा सके।

13. डीजीएफटी को 15 दिनों की अपनी निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए ईओडीसी जारी करने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा यह सुनिश्चित करके करनी चाहिए कि आनलाईन माडयूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूर्ण और मुकम्मल आवेदनों को स्वीकार करने के दोबारा बनाया गया है।

14. डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच सूचनाओं के प्रभावी और समय पर आदान-प्रदान के लिए डीजीएफटी को अपने सभी आरए में मैसेज एक्सचेंज मॉड्यूल (एमईएम) लागू करना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से अपनी

eodc.online वेबसाइट में ईओडीसी स्थिति को अपडेट करना चाहिए। समय पर सूचना साझा करने, ईओडीसी की स्थिति का समाधान करने और छोड़े गए शुल्क के आकार में शामिल सरकारी राजस्व की वसूली के लिए डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच, आवधिक बैठकें निरंतर तरीके से आयोजित की जा सकती हैं। डीजीएफटी/डीओआर द्वारा योजना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा, सुधार करने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है और इसलिए आंतरिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण है। डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक लेखापरीक्षा में उचित रूप से स्टाफ दिया गया है और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, विशेष लेखापरीक्षा की परिकल्पना विशेष रूप से उन मामलों के लिए की गई थी जिनमें एए स्व-संपुष्टि/घोषणा के तहत जारी किए जाते हैं और इसलिए गलत घोषणाएं करने वाले आवेदकों के लिए निवारक के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम कुछेक मामलों में परीक्षण के तौर पर लेखापरीक्षा की जानी चाहिए थी।

16. डीजीएफटी, समय पर और प्रभावी तरीके से अधिनिर्णय प्रक्रिया के बेहतर नियमन को लागू करने के लिए एससीएन जारी करने और अधिनिर्णय के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर सकता है।

17. डीजीएफटी को आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी करने की आवश्यकता है और गलत/गैर-रिपोर्टिंग के दृष्टांतों को आरए के साथ उठाया जा सकता है। एमआईएस रिपोर्ट से मिली सूचना के आधार पर डीजीएफटी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।